

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 160/2024
अनवान : -

1. गुलजारी पुत्र कनीराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. कनीराम पुत्र धोकलराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. रामसिंह पुत्र कनीराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. भूपसिंह पुत्र कनीराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. चन्द्रावली पुत्री कनीराम पत्नी राधा कृष्ण जाति खाती निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल निवासी वेरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद सिरसा हरियाणा।
5. इन्द्रा देवी पुत्री कनीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति खाती साकिन ढाणी लालखां हाल पनीयाली तहसील टिब्बी।
6. माया देवी पुत्री कनीराम पत्नी मोहनलाल जाति खाती साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल पनीयावाली तहसील टिब्बी।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 21/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका के खाता स0 71/69 की कुल 1.9010 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 2.0740 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि, रोही मौजा ढण्डेला तहसील नोहर के खाता स0 24/85 की कुल 7.7780 हैक्ट, रोही मौजा 21 केएनएन तहसील टिब्बी के खाता स0 5/7 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 4 ता 6 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादी व प्रतिवादीगण के मुताबिक बाहमी राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 ने रोही मौजा 21 केएनएन तहसील टिब्बी की जमीन स्वयं अपने पास रख ली है एवं रोही मौजा ढण्डेला की वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को दे दी है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को देना बाबत बिनाय दावा है।

अ
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा भूकरका के खाता स0 71/69 की कुल 1.9010 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 2.0740 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि, रोही मौजा ढण्डेला तहसील नोहर के खाता स0 24/85 की कुल 7.7780 हैक्ट, रोही मौजा 21 केएनएन तहसील टिब्बी के खाता स0 5/7 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि

अखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 2.0740 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा ढण्डेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 24/85 की कुल 7.7780 हैक्ट में से प्रतिवादी स0 1 का 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 0.6685 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 2.086 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1.1345 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 71/69 के खसरा न0 30/3 की 1.3530 हैक्ट भूमि, खसरा न0 37/3 की 0.5480 हैक्ट बारानी भूमि में यानि 1.9010 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 160/2024

अनवान : -

1. गुलजारी पुत्र कनीराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. कनीराम पुत्र धोकलराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. रामसिंह पुत्र कनीराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. भूपसिंह पुत्र कनीराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. चन्द्रावली पुत्री कनीराम पत्नी राधा कृष्ण जाति खाती निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल निवासी वेरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद सिरसा हरियाणा।
5. इन्द्रा देवी पुत्री कनीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति खाती साकिन ढाणी लालखां हाल पनीयाली तहसील टिब्बी।
6. माया देवी पुत्री कनीराम पत्नी मोहनलाल जाति खाती साकिन ढाणी ललाखां तहसील नोहर हाल पनीयावाली तहसील टिब्बी।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 160 सन 2024 निर्णय दिनांक - 21/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 2.0740 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा ढण्डेला बरानी तहसील नोहर के खाता स0 24/85 की कुल 7.7780 हैक्ट में से प्रतिवादी स0 1 का 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 0.6685 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 2.086 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1.1345 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 71/69 के खसरा न0 30/3 की 1.3530 हैक्ट भूमि, खसरा न0 37/3 की 0.5480 हैक्ट बरानी भूमि में यानि 1.9010 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर